HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6733/2026
CNR: RJHC020984562026 | URN: CRLMP / 16520U / 2026

1. Rameshwar Lal S/o Bharta Ram, Aged About 71 Years, Resident Of 1305, Gulab Bari, Uniyaro Ka Rasta, Purani Basti, Nahargarh, Jaipur City (North), Jaipur, Rajasthan.
2. Smt. Bhagwati Devi W/o Rameshwar Lal, Aged About 66 Years, Resident Of 1305, Gulab Bari, Uniyaro Ka Rasta, Purani Basti, Nahargarh, Jaipur City (North), Jaipur, Rajasthan.
3. Smt. Jamana Devi Urf Guddi W/o Bhagirath, Aged About 36 Years, Resident Of 1305, Gulab Bari, Uniyaro Ka Rasta, Purani Basti, Nahargarh, Jaipur City (North), Jaipur, Rajasthan.
4. Bhagirath S/o Rameshwar Lal, Aged About 40 Years, Resident Of 1305, Gulab Bari, Uniyaro Ka Rasta, Purani Basti, Nahargarh, Jaipur City (North), Jaipur, Rajasthan.
5. Satynaryan Verma S/o Rameshwar Lal, Aged About 36 Years, Resident Of 1305, Gulab Bari, Uniyaro Ka Rasta, Purani Basti, Nahargarh, Jaipur City (North), Jaipur, Rajasthan.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Chagan Lal S/o Prabhat Tawar, Resident Of A 1, Char Darwaja Bahar, Mandi Khatikan, Ramganj, Jaipur City (North), Jaipur, Rajasthan
3. Krishna Urf Ballu W/o Satynaryan Verma D/o Chagan Lal, Presently Resident Of A 1, Char Darwaja Bahar, Mandi Khatikan, Ramganj, Jaipur City (North), Jaipur, Rajasthan

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Narendra Singh Hada, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, P.P. with Mr. Shubham Kumar Sain, AAAG

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.10.30
10:51:40 IST

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

27/10/2026

1. यह याचिका धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस थाना–**नाहरगढ़, जयपुर शहर उत्तर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **140/2020** से संबंधित नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या **01/2021 (41/2021)** सरकार बनाम **रामेश्वरलाल व अन्य** अपराध अन्तर्गत धारा **143, 147, 149, 323, 341, 377, 354, 498ए सपठित 34** भा.दं.सं. जो कि न्यायालय **न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–12 जयपुर महानगर द्वितीय** के समक्ष लंबित है, को राजीनामा के आधार पर निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण का निवेदन है कि दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है, अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किया गया, किन्तु अभियुक्त पर आरोपित अपराध **143, 147, 149, 354, 377, 498ए** भा.दं.सं. में मामला राजीनामा योग्य नहीं होने से तस्दीक नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्य न्यायालय के समक्ष रखते हुये निवेदन किया कि धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजीनामे के आधार पर लंबित आपराधिक विचारण की कार्यवाही अपास्त की जाकर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने विधि–सम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

4. याची/अभियुक्तगण तथा परिवादिया के मध्य वर्तमान समय में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके हैं, राजीनामा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन को निरन्तर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय Gian Singh Vs. State of Punjab & Anr. 2012(10) SCC 303 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह याचिका स्वीकार होकर उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही अपास्त होने योग्य है।

5. परिणामतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार की जाती है तथा याचीगण के विरूद्ध पुलिस थाना–**नाहरगढ़, जयपुर शहर उत्तर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **140/2020** से संबंधित नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या **01/2021 (41/2021)** की आपराधिक कार्यवाही को याची–अभियुक्तगण की सीमा तक निरस्त किया जाता है और अभियुक्त **रामेश्वरलाल, भगवती, जमना, भागीरथ व सत्यनारायण** को आरोपित आरोप **143, 147, 149, 323, 341, 377, 354, 498ए सपठित 34** भा.दं.सं. से दोषमुक्त किया जाता है।

6. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में यदि वर्तमान याची/गण के अलावा अन्य कोई अभियुक्त/गण के विरूद्ध अनुसंधान/विचारण शेष है, तो वह नियमानुसार जारी रहेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

99/Murari Lal Sharma